

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या 1402
09 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

एनएसपीएडी चरण-II

1402. श्री ससिकांत सेंथिल:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मत्स्य कार्य में लगे कृषकों द्वारा रिपोर्टेड फिश डिजीज मोबाइल एप्लिकेशन के वास्तविक उपयोग और रिपोर्टिंग की बारम्बारता का आकलन करने के लिए कोई निगरानी प्रणाली बनाई है;

(ख) वर्ष 2023 में इसकी शुरुआत से अब तक एप के माध्यम से प्राप्त, सत्यापित और समाधान की गई संबंधी रोग रिपोर्टों की संख्या कितनी है और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जलजीव रोग निगरानी कार्यक्रम (एनएसपीएडी) चरण-II के तहत प्रतिक्रिया समय और किसानों को प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत देश में जलीय जीव रोगों के लिए नेशनल सरवेलन्स प्रोग्राम फॉर एकेटिक एनिमल डिजीज (NSPAAD) चरण-II को कार्यान्वित किया जा रहा है। ICAR-नेशनल ब्यूरो ऑफ़ फिश जेनेटिक रिसोर्स (NBFGR), लखनऊ, NSPAAD चरण-II के कार्यान्वयन के लिए समन्वय संस्थान है। NSPAAD चरण-II के भाग के रूप में, ICAR-NBFGR ने देश भर के किसानों द्वारा जलीय जीव स्वास्थ्य समस्याओं की वास्तविक समय (रियल टाइम) रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए *रिपोर्टेड फिश डिजीज* मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है। समन्वय संस्थान के रूप में, ICAR-NBFGR रिपोर्ट किए गए रोग के मामलों को ट्रैक करने के लिए एप्लिकेशन के कार्य पद्धति की निगरानी करता है। किसी भी बीमारी की रिपोर्ट मिलने पर, ICAR-NBFGR तुरंत संबंधित किसान से संपर्क करता है और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (UT) के संबंधित मात्स्यिकी विभाग के नामित नोडल और सह-नोडल अधिकारियों के साथ-साथ NSPAAD सहयोगी केंद्रों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सूचित करता है।

(ख): ICAR-NBFGR की रिपोर्ट के अनुसार, *रिपोर्टेड फिश डिजीज* मोबाइल एप्लिकेशन को 22,190 बार डाउनलोड किया गया है और देश भर के किसानों ने 356 रोग के मामले दर्ज किए हैं। ICAR-NBFGR द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से प्राप्त रोग, सत्यापन और उनके समाधान का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार, विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से NSPAAD चरण-II के कार्यान्वयन की समीक्षा कर रहा है। इसके अतिरिक्त, ICAR के मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, मात्स्यिकी कॉलेज और NSPAAD फेज़-II के अन्य सहयोगी केंद्र 'रिपोर्टेड फिश डिजीज' मोबाइल एप्लिकेशन के बारे में ट्रेनिंग और जागरूकता का आयोजन रहे हैं, ताकि मत्स्य किसानों को इस मोबाइल एप्लिकेशन का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ICAR-NBFGR ने NSPAAD फेज़-II के अंतर्गत दिए जा रहे रेस्पोंस और तकनीकी सहायता का भी मूल्यांकन किया है। रिपोर्ट किया गया है कि मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से जब कोई रोग का मामला प्राप्त होता है, तो किसानों से 24 घंटे के भीतर संपर्क किया जाता है और केस हिस्ट्री के आधार पर 24 से 48 घंटे के भीतर संबंधित राज्य मात्स्यिकी विभाग के अधिकारी या NSPAAD सहयोगी केंद्र द्वारा प्रबंधन संबंधी सलाह जारी किया जाता है।

9 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1402 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण - 'रिपोर्ट फिश डिजीज़' ऐप के माध्यम से रिपोर्ट किए गए और समाधान किए गए रोग मामलों का राज्यवार विवरण।

| क्रम.सं | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | मामले जिनका समाधान किया गया |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| (i) | (ii) | (iii) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 24 |
| 2 | असम | 4 |
| 3 | बिहार | 27 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 14 |
| 5 | गुजरात | 4 |
| 6 | हरियाणा | 8 |
| 7 | झारखंड | 26 |
| 8 | कर्नाटक | 5 |
| 9 | केरल | 49 |
| 10 | मध्य प्रदेश | 8 |
| 11 | महाराष्ट्र | 22 |
| 12 | मेघालय | 1 |
| 13 | ओडिशा | 22 |
| 14 | पंजाब | 5 |
| 15 | राजस्थान | 7 |
| 16 | तेलंगाना | 5 |
| 17 | तमिलनाडु | 3 |
| 18 | त्रिपुरा | 5 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | 76 |
| 20 | उत्तराखंड | 16 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | 25 |
| | कुल | 356 |
